न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 181/2017

दर्ज दिनांक : 27/12/2017

निर्णय दिनांक : 16/03/2018

1. मधु देवी पुत्री श्री जगदीश, पत्नि श्री गोपाल, जाति बारागांव ब्राहम्ण, उम्र 25 वर्ष, निवासीः सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सामने, फागी, जिला जयपुर।
2. रामकल्याण पुत्री श्री जगदीश, पत्नि श्री भैरूराम जाति बारागांव ब्राहम्ण, उम्र 31 वर्ष, निवासीः रोडवेज बस स्टेण्ड के सामने, फागी, जिला जयपुर।

---वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र भोलू उम्र 72 वर्ष, जाति बारागांव ब्राहम्ण, निवासीः जसालों का मोहल्ला, फागी, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

-: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खसरा नंबर 20, 21, 22, 36, 37, 42, 45, 50/2, 74, 6202, 6214, 6234 कुल किता 12 कुल रकबा 41 बीघा 9 बिस्वा खाता संख्या 170 में है तथा खसरा नंबर 4015, 4091, 4092, 4101, 4203, 8753 कुल किता 6 कुल रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा खता संख्या 164 में है। उक्त दोनों खातों की वर्णित खसरा नंबर प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नंबर 50/3, 50/6, 52/2 खाता संख्या 572 में है जिसमें से प्रतिवादी का

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

1/6 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा नंबर 6201, 6206 खाता संख्या 171 में है जिसमें प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है खसरा नंबर 6205 रकबा 4 बीघा जो खाता संख्या 369 में है जिसमें प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा दज है, उक्त भूमि ग्राम फागी अंतर्गत तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है। खाता संख्या 170 व 164 में वण्रित समस्त भूमि तथा खाता संख्या 171 में दर्ज में से 1/2 हिस्सा तथा खाता संख्या 572 में दर्ज भूमि में से 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 369 में प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा रिकॉर्ड में दर्ज है जो वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक भूमि है जो फागी में स्थित है। वादीगण के कोई भाई न होने तथा प्रतिवादी की एकमात्र वारिसान वादीगण होने के नाते प्रतिवादी ने उसके हिस्से की समस्त भूमि कुल भूमि में से वादीगण को 1/3 प्रत्येक को दे रखी थी अर्थात संपूर्ण भूमि में से 1/3 हिस्से में वादी संख्या 1 व 1/3 हिस्से में वादी संख्या 2 तथा 1/3 हिस्सें में प्रतिवादी काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादी वृद्व व्यक्ति है तथा परिवार के दूर के रिश्तेदारों के प्रभाव में आकर अपनी खातेदारी में दर्ज समस्त भूमि जो वादीगण तथा प्रतिवादी की संयुक्त कब्जे काश्त व पैतृक सम्पत्ति है उसको बेचना चाहता है ताकि प्रतिवादी की मृत्यु के पश्चात वादीगण के नाम कोई भूमि नहीं आ सके वादीगण अपने हिस्से की भूमि से बेदखल हो जावे। वादीगण ने प्रतिवादी अपने पिता को यह समझाया कि वह अपने नाम की भूमि में से 1/3 को स्वयं रख ले तथा 2/3 भूमि वादीगण के नाम करवा दे परन्तु प्रतिवादी भू माफिया लोगो के बहकावे में आकर समस्त कृषि भूमि को ही बेचना चाहता है वादीगण के नाम भूमि नहीं लगवाना चाहता है जबकि पैतृक सम्पत्ति होने के नाते वादीगण का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा नियमानुसार वादीगण लेने के हकदार है। वादीगणों को दिनांक 25.12.2017 को प्रतिवादी ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि में से भूमि देने से इंकार कर दिया और भू माफियों को जमीन बेचान करने के लिए पटवारी हल्का स कागजात निकलवाकर दीगर व्यक्तियों को बेचान की रजिस्ट्री कराने पर आमादा है। प्रतिवादी ने अगर समस्त भूमि का बेचान कर दिया तो वादीगण अपने जायज अधिकारों से महरूम हो जायेगे तथा व्यर्थ ही मुकदमेबाजी को बढावा मिलेगा, भू माफिया लोग वादीगणों को परेशान करेगे इसलिए प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना आवश्यक हो गया है इसलिये वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

खाता संख्या 572 व खाता संख्या 171 की भूमि में अन्य सह खातेदारान के विरूद्व कोई दादरसी नहीं चाही है। वादीगण ने केवल प्रतिवादी की दर्ज हिस्से की भूमि में से ही अपना हिस्सा चाहा है इसलिए खाता संख्या 572 व 171 की भूमिं में जो अन्य सह खातेदार है उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है इसलिए उन्हे दावें में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार डिक्री फरमाई जावे खसरा नंबर 20, 21, 22, 36, 37, 42, 45, 50/2, 74, 6202, 6214, 6234 4015, 4091, 4092, 4101, 4203, 8753 कुल किता 18 कुल रकबा 45 बीघा 17 बिस्वा में से 1/3 वादी संख्या 1 व 1/3 वादी संख्या 2 तथा खसरा नंबर 50/3, 50/6, 52/2 में जो वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज है उसमें से 1/3 वादी संख्या 1 व 1/3 वादी संख्या 2 अर्थात प्रतिवादी के दर्ज हिस्से में से 1/18 हिस्सा, वादी संख्या 1 व 1/18 हिस्सा वादी संख्या 2 तथा खसरा नंबर 6201, 6206 में जो वादी का 1/2 हिस्सा है उसमें से 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 व 1/3 वादी संख्या 2 अर्थात प्रतिवादी के 1/2 हिस्से में से 1/6 का वादी संख्या 1 व 1/6 हिस्से का वादी संख्या 2 व खसरा नंबर 6203 व 6205 के प्रतिवादी का 1/4 हिस्से में 1/3 अर्थात 1/12 वादी संख्या 1 व 1/2 वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 के हिस्से की भूमि को काश्त करने में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 18.01.2018 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया, राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 15.02.2018 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया, प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब बंद किया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 मधुदेवी पुत्री जगदीश, पी.डब्ल्यू–2 रामनिवास पुत्र जगदीश, पी.डब्ल्यू–3 भैरूराम पुत्र रामकरण के शपथ पत्र पेश किये,

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

शामिल पत्रावली किये गये। वकील उभयपक्ष ने लिखित बहस प्रस्तुत की, शामिल पत्रावली की गयी।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने राजीनामा में यह तथ्य अंकित किये है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रियां है तथा वादी के अन्य कोई पुत्र संतान नहीं है और वादीगण ही प्रतिवादी संख्या 1 की उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण संख्या 1 व 2 को उनके हिस्से की भूमि प्रत्येक को दे रखी है अर्थात 1/3 हिस्से भूमि वादी संख्या 1 को व 1/3 भूमि वादी संख्या 2 को एवं शेष 1/3 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काश्त करतें चले आ रहे है। खसरा नंबर 20, 21, 22, 36, 37, 42, 45, 50/2, 74, 6202, 6214, 6234 4015, 4091, 4092, 4101, 4203, 8753 कुल किता 18 कुल रकबा 45 बीघा 17 बिस्वा में से 1/3 वादी संख्या 1 को व 1/3 वादी संख्या 2 को खसरा नंबर 50/3, 50/6, 52/2 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा में जो प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज है उसमें से 1/3 वादी संख्या 1 व 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 को, अर्थात प्रतिवादी खसरा नंबर 50/3, 50/6 व 52/2 तीनो नंबरो की कुल भूमि 4 बीघा 17 बिस्वा में से 1/18 हिस्सा वादी संख्या 1 को व 1/18 हिस्सा वादी संख्या 2 को, खसरा नंबर 6201, 6206 कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा में प्रतिवादी 1/2 हिस्सा है उसमें से 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 व 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 को अर्थात खसरा नंबर 6201 व 6206 के कुल रकबे में से 1/6 हिस्सा वादी संख्या 1 को व 1/6 वादी संख्या 2 को, खसरा नंबर 6203, 6205, कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज है उसमें से प्रतिवादी संख्या 01 के 1/4 हिस्से में से 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 व 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 को अर्थात, खसरा नंबर 6203 व 6205 के कुल रकबे 7 बीघा 10 बिस्वा में से 1/12 हिस्सा वादी संख्या 1 व 1/12 हिस्सा वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे उक्त भूमि ग्राम फागी अंतर्गत तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। वाद खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करेगें। मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, ग्राम पंचायत फागी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 18.01.2018, लिखित बहस, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1993 पेज 821, राजीनामा, शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 मधुदेवी पुत्री जगदीश, पी.डब्ल्यू–2 रामनिवास पुत्र जगदीश, पी.डब्ल्यू–3 भैरूराम पुत्र रामकरण इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 सहखातेदार काश्तकार है।

चूंकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के वाद को स्वीकार कर डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है, न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ग्राम फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर के खसरा नंबर 20, 21, 22, 36, 37, 42, 45, 50/2, 74, 6202, 6214, 6234 4015, 4091, 4092, 4101, 4203, 8753 कुल किता 18 कुल रकबा 45 बीघा 17 बिस्वा में से 1/3 हिस्से का वादी संख्या 1 को व 1/3 हिस्से का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार, खसरा नंबर 50/3, 50/6, 52/2 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज है, में से 1/3 हिस्से का वादी संख्या 1 को व 1/3 हिस्से का वादी संख्या 2 को, अर्थात खसरा नंबर 50/3, 50/6 व 52/2 तीनों नंबरों की कुल भूमि 4 बीघा 17 बिस्वा में से 1/18 हिस्से का वादी संख्या 1 को व 1/18 हिस्से वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार, खसरा नंबर 6201, 6206 कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है, में से 1/3 हिस्से का वादी संख्या 1 को व 1/3 हिस्से का वादी संख्या 2 को, अर्थात खसरा नंबर 6201 व 6206 के कुल रकबे में से 1/6 हिस्से का वादी संख्या 1 को व 1/6 हिस्से का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार, खसरा नंबर 6203, 6205, कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज है, में से 1/3 हिस्से का वादी संख्या 1 को व 1/3 हिस्से का वादी संख्या 2 को, अर्थात खसरा नंबर 6203 व 6205 के कुल रकबे 7 बीघा 10 बिस्वा में से

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

1/12 हिस्से का वादी संख्या 1 को व 1/12 हिस्से का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)
बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान
मधु देवी व अन्य
बनाम
जगदीश व अन्य

:– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा :–

मुकदमा नं0 –181/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ग्राम फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर के खसरा नंबर 20, 21, 22, 36, 37, 42, 45, 50/2, 74, 6202, 6214, 6234 4015, 4091, 4092, 4101, 4203, 8753 कुल किता 18 कुल रकबा 45 बीघा 17 बिस्वा में से 1/3 हिस्से का वादी संख्या 1 को व 1/3 हिस्से का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार, खसरा नंबर 50/3, 50/6, 52/2 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज है, में से 1/3 हिस्से का वादी संख्या 1 को व 1/3 हिस्से का वादी संख्या 2 को, अर्थात खसरा नंबर 50/3, 50/6 व 52/2 तीनों नंबरों की कुल भूमि 4 बीघा 17 बिस्वा में से 1/18 हिस्से का वादी संख्या 1 को व 1/18 हिस्से वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार, खसरा नंबर 6201, 6206 कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है, में से 1/3 हिस्से का वादी संख्या 1 को व 1/3 हिस्से का वादी संख्या 2 को, अर्थात खसरा नंबर 6201 व 6206 के कुल रकबे में से 1/6 हिस्से का वादी संख्या 1 को व 1/6 हिस्से का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार, खसरा नंबर 6203, 6205, कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज है, में से 1/3 हिस्से का वादी संख्या 1 को व 1/3 हिस्से का वादी संख्या 2 को, अर्थात खसरा नंबर 6203 व 6205 के कुल रकबे 7 बीघा 10 बिस्वा में से 1/12 हिस्से का वादी संख्या 1 को व 1/12 हिस्से का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करें।

निज..................मुबलिग...बाबत...
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह...फीसदी...........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..................का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/03/2018 को जारी की गई।

दस्तखत....उपखण्ड अधिकारी
ओहदा..फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी, फागी
मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर	NIL	
फीस कमीश्नर	NIL		बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)